(b) These fields would be developed by companies on their own, with no participation by ONGC/OIL, under production-sharing contracts to be signed by the companies with the Government of India. Companies would also be required to bear their share of statutory levies like royalty, cess etc. Companies involved in oil exploitation would be levied income-tax at a fixed rate of 50 per cent (without surcharge). The Government of India would have the right of first refusal in respect of the oil and gas produced under all such ventures.

(c) As and when any offer is received from any other State Government Undertakings of other States, the same would be considered along with other offers.

Supply of gas from western coast to other parts of the country

2457. SHRI ASHOK MITRA: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) the total volume and value of natural gas flared away during each year since 1984-85 because of lack of storage and distribution facilities in the country;

(b) whether plans are on the anvil for laying pipelines for carrying gas from the Western coast to the other parts of the country;

(c) if so, what are the principles governing the policy for laying such pipelines: and

(d) whether laying of pipelines to the eastern zone will be duly considered in this connection?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (CAPTAIN SATISH SHARMA): (a) A statement is annexed. (See below).

(b) The concept of laying a pipeline from the Western coast to the Southern States has been accepted in principle.

(c) The availability of gas and techno-economic feasibility will be the deciding factors.

(d) No such proposal is under consideration at present.

Statement

Year	Qty. Flared (MMSCM)	National Value (Rs. crores)
1984-85	2876.94	*
1985-86	3119.10	*
1986-87	2736.20	*
1987-88	3422.80	413.55
1988-89	3874.10	476.29
1989-90	5733.60	740.73
1990-91	5161.40	663.97
1991-92	4119.66	518.30
1992-93	1854.20	216.57
1993-94 (Apr. 93-Jan. 94)	1545.38	178.67

*The price of gas prior to January 1987 was fixed on ad hoc basis.

सरकारी क्षेत्र की तेल कम्पनियों द्वारा चलाई जाने वाली परियोजनायें

2458. **श्री राम नरेश यादव** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल उद्योग के क्षेत्र में गैर सरकारी कम्पनियों और अन्य संस्थाओं की भागीदारी दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकारी नीतियों में परिवर्तन किए जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा

चलाई जाने वाली परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) नई नीतियों के तहत सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों में सरकार को कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त होने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश शर्मा) : (क) जी, हां ।

(ख) तेल और गैस के अन्वेषण और उत्पादन कार्य को तीव्र करने के लिए तथा पेट्रोलियम उत्पादों के विपणन और शोधन क्षमता में वृद्धि करने के लिए तेल क्षेत्र में उदार नीतियां लागू की गई है । इनसे देश में पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता में बढ़ौतरी होने की आशा है ।

(ग) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा आठवीं योजना के दौरान कार्यान्वयन हेतु योजनाबद्ध परियोजनाएं मुख्यतया कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन, क्रूड और उत्पाद पाइपलाइनें बिछाने, संयुक्त उद्यम की रिफाइनरियां स्थापित करने, कुछ मौजूदा रिफाइनरियों का आधुनिकीकरण/डीबाटलनेकिंग/विस्तारण, एल पी जी भरण संयंत्रों की स्थापना, एल पी जी के आयात की सुविधाओं के प्रावधान और तटीय संस्थापनाओं इत्यादि से संबंधित हैं । पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन सावजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए आठवीं योजना का अनुमोदन परिव्यय 26,552 करोड़ रुपए है ।

(घ) तेल क्षेत्र में निजी कम्पनियों की भागीदारी के कारण विदेशी मुद्रा पर प्रभाव का अभी मूल्यांकन करना जल्दबाजी होगी ।

पेट्रोल पम्पों तथा गैस एजेंसियों के नियुक्त किए जाने के लिए मानदंड

2459. **श्री शिव चरण सिंह** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल और प्राकृतिक गैस के वितरण में कितनी कंपनियां कार्यरत हैं ;

(ख) उपरोक्त प्रत्येक कम्पनी के कितने-कितने पैट्रोल पम्प तथा गैस एजंसियां हैं ;

(ग) पैट्रोल पम्पों और गैस एजेंसियों के आवंटन के लिए मानदंड क्या हैं ;

(घ) तेल चयन बोर्ड के गठन के लिए नियम क्या हैं तथा उसके सदस्यों की योग्यताएं क्या है ;

(ङ) क्या पैट्रोल पम्पों और गैस एजेंसियों के आवंटन के लिए नियमों का पालन होता है ; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(च) क्या यह सच है कि तेल चयन बोर्ड की प्रक्रिया काफी लम्बी है ; यदि हां, तो उसके क्या कारण है और यदि नहीं, तो उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश शर्मा) : (क) और (ख) चार सार्वजनिक क्षेत्र की विपणन कंपनियां पैट्रोलियम उत्पादों के वितरण और विपणन कार्य में लगी है । उनके नाम तथा 1-1-1994 के अनुसार खुदरा बिक्री केन्द्रों और एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की संख्या नीचे दी गई है :--

	खुदरा बिक्री केन्द्र	एल०पी०जी०
आई ओ सी	5916	2173
एच पी सी	4009	1204
बी पी सी	4055	844
आई बी पी	1315	*

*आई बी पी एल पी जी का वितरण नहीं करती है ।

(ग) विद्यमान नीति के अनुसार तेल विपणन कंपनियों द्वारा खुदरा बिक्री केन्द्र तथा एल पी जी की डिस्ट्रीब्यूटरशिपों तेल चयन बोर्ड की सिफारिशों पर दी जाती हैं जो विज्ञापनों के प्रति आवेदन करने वाले व्यक्तियों के साक्षात्कार तथा निम्नानुसार विभिन्न श्रेणियों के लिए पात्रता मानदंड को पूरा करने के माध्यम से चयन करते है :--

(1) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति 25%